

**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**  
(अम्बेडकर भवन, जी-3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया जयपुर-302005)

क्रमांक एफ1( )/स्था/सान्याजवि/2018/ 3428

जयपुर दिनांक : 20/4/2018

-: आदेश :-

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा - 2013 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा अनुसार कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्रांक प.9(190)कार्मिक/क-4/2/2017 दिनांक 10.04.2018 के द्वारा नियुक्ति हेतु संदर्भित किये जाने पर राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय-समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत तथा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर वादकरणों में पारित आदेश/निर्णय के दृष्टिगत राजस्थान लोक सेवा आयोग के निर्णय दिनांक 12.09.2017 के अनुसार उक्त परीक्षा की उत्तर पुस्तिका/ पुस्तिकाओं के unassess रह प्रश्नों की जांच करवाये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित सफल पाये गये अभ्यर्थियों को राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा में ग्रुप 'बी' सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की कालावधि (परिवीक्षा काल) के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान), 2017 के अंतर्गत लेवल- 11 में देय स्थिर पारिश्रमिक रुपये 26500/- वेतन भत्तों पर एतद्वारा नियुक्त किया जाता है। यह संगत तिथि निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर में रिपोर्ट करने की तिथि के अनुसार होगी :-

क्र. सं.	मेरिट संख्या	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)	श्रेणी	जन्म तिथि
1	396A	911748	NAND KISHOR RAJPUROHIT S/O KUSHAL SINGH, BEHIND HARIRAM JI TEMPLE NOKHA ROAD, GANGANAGAR, BIKANER	GE, RG	04/05/1983
2	453A	916906	MAHESH SEPAT S/O NAND LAL SEPAT, GOOD LUCK BHAWAN, NEW MARKET JOBNER, DIST. JAIPUR - 303328.	GE	02/07/1985
3	537A	915390	NEERAJ SHARMA S/O SHRAWAN KUMAR SHARMA, E-124 125 MAGADH NAGAR, SHAHI BAG KE PASS, CHOMU.	GE	05/08/1986
4	570A	930649	REKHA SHEKHAWAT D/O RAM SINGH SHEKHAWAT, C/O COL. B.S. RATHORE, 609 SATGURU KRIPA, GALI NO. 14, NEW B.J.S. COLONY, JODHPUR, RAJASTHAN.	GE, WE, RG	01/01/1980
5	1664A	933954	MAHAVEER PRASAD RAWAT S/O BHAGWAN SAHAI RAWAT, 34, AMBEDKAR NAGAR NEAR IMLI PHATAK, JAIPUR.	SC, RG	05/07/1985
6	1744A	931108	MAHENDRA DEVPAL S/O BHURARAM DEVPAL, GAON CHANGWA, POST KEERWA, DISTT. PALI, RAJASTHAN 306422	SC, RG	10/08/1983

नोट : कार्मिक विभाग के पत्र संख्या प.9(190)कार्मिक/क-4/2/2017 दिनांक 03.08.2017 के क्रम में समसंख्यक पत्र दिनांक 10.04.2018 द्वारा क्रम संख्या 116 पर अंकित सुमित्रा चौधरी, मेरिट क्रमांक 952 के नीचे एवं क्रम संख्या 117 पर अंकित अनामिका नागर, मेरिट क्रमांक 995 के ऊपर **विद्या चौधरी, मेरिट क्रमांक 987ए** को प्रतिस्थापित किया गया।

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही हैं :-

1. उक्त नियुक्तियां मा. सर्वोच्च न्यायालय में दायर स्पेशल अपील संख्या 18272-76/2008 (सिविल अपील संख्या 2049-2053/2011) तथा याचिका संख्या 140/11 एवं मा. उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 6744/2008, 11200/2010 याचिका संख्या 1862/2013 और मा. उच्च न्यायालय में लम्बित सभी विभिन्न रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी। इसके साथ ही मा. उच्च न्यायालय में दायर डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 334/17 द्वारा श्री भंवराराम चौधरी व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 9.5.2017 तथा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 7815, 7825/17 व 8020/17 द्वारा देवेन्द्र पाल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 12.7.2017 की अनुपालना में नियुक्तियां उक्त आदेश के अध्यक्षीन रहेगी। इसी प्रकार डी.बी. स्पेशल अपील रिट सं. 1488/16 झाबरमल ग्रहवाल तथा 1410/16 द्वारा लक्ष्मणसिंह बनाम आयोग के प्रकरणों में मा. उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 26.5.2017 के विरुद्ध मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एस.एल.पी. तथा एस.बी.सी. डब्ल्यूपी संख्या 13952/16 रामूराम बनाम राज्य सहित कुल 07 रिट याचिकाओं/प्रकरणों (यथा एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 13952/16, 13473/16, 13930/16, 13953/16, 13994/16, 14398/16 व 15120/16) में मा. न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 30.5.2017 के विरुद्ध खण्डपीठ के समक्ष दायर की जाने वाली एस.एल.पी. के निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी। मा. उच्च न्यायालय में दायर रिट संख्या 11200/2010 के अध्यक्षीन भी उक्त नियुक्तियाँ रहेगी।
2. विशेष पिछड़ा वर्ग (एस.बी.सी.) की 02 रिक्ति विज्ञापित है, मा. उच्च न्यायालय जयपुर-पीठ द्वारा कैप्टन गुरविन्दरसिंह एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य (डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1645/2016) निर्णय दिनांक 9.12.16 तथा मा. सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी संख्या 3042-3044/2017 में दिये गये अंतरिम आदेश दिनांक 3.2.2017 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.5.2017 के अनुसरण में प्रभाव स्वरूप सेवा आवंटन किया है। विशेष पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थी मेरिट संख्या 633 देवेन्द्र सिंह तथा मेरिट संख्या 714 उदयसिंह अवाना को अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने के लिए

विभाग में 02 अधिसंख्य पद (Supernumerary Post) सृजित किये जा रहे हैं। मा. उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन उक्त एस.बी.सी. अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई (Temporary) आधार की पर गई है। Supernumary post के लिए वित्त विभाग से सैद्धान्तिक सहमति कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा प्राप्त कर ली गई है। नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात अधिसंख्या पद के सृजन हेतु वित्त विभाग से औपचारिक अनुमति ले ली जायेगी।

3. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं प.14 (1) वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. संख्या 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
4. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 15(1) कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.8.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
5. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है, और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
6. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसरण में उक्त सेवा नियमों के ग्रुप 'बी' परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/सहायक अधीक्षक गृह के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
7. उक्त नियुक्तियों सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्याधीन है।
8. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है, तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

10. आधारभूत/प्रारम्भिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग-पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बंधक पत्र निष्पादित करेंगे।
11. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
12. अभ्यर्थियों को दिनांक 30.04.2018 को प्रातः 9.30 तक अपने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (विवाहित होने की स्थिति में) की सत्यापित प्रति के साथ निश्चित रूप से निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
13. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 के अनुसरण में टीएसपी वर्ग अभ्यर्थियों से उक्त अधिसूचना के क्रम में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।
14. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनके चरित्र प्रमाण पत्र/पुलिस वेरीफिकेशन राज्य सरकार द्वारा संतोषजनक पाये जाने के अध्याधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र/पुलिस वेरीफिकेशन प्रतिकूल प्राप्त होता है, तो उसकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
15. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में अभ्यर्थी को "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी।
16. उक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के समय अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्र तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा। उक्त अभ्यर्थियों में से किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में त्रुटि/मिथ्या सूचना पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।
17. अभ्यर्थी को नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग में प्रस्तुत कर दिया है उन्हें, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा।

18. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जीवित संतान/सन्तानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
19. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

(डॉ. समित शर्मा)  
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक एफ1( )/स्था/सान्याअवि/2018/ 3429-3468

जयपुर दिनांक : 20/4/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं महानिदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क-4/2), शासन सचिवालय जयपुर।
5. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. निजी सचिव निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सान्याअवि, जयपुर।
8. निजी सचिव, उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन), सान्याअवि, मु.।
9. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण.....।
10. एसीपी मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री .....
12. व्यक्तिगत पत्रावली।
13. आदेश पत्रावली।

(संचिता बिश्नोई)  
अतिरिक्त निदेशक एवं  
संयुक्त शासन सचिव

## चैक लिस्ट

नाम.....

मेरिट संख्या.....

1. चरित्र प्रमाण पत्र/पुलिस वेरीफिकेशन
2. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यार्थी  
को 'Self declaration' अथवा शपथ पत्र
3. अभ्यार्थी का सेवा ग्रहण से पूर्व विहित प्रारूप में बंधक पत्र
4. मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र
5. जाति प्रमाण पत्र
6. मूल निवास प्रमाण पत्र
7. अभ्यार्थी का नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
- 8- Married/Unmarried का प्रमाण पत्र
9. जीवित संतान/सन्तानों का सूचना
10. सीएसपी वर्ग के अभ्यार्थी का शपथ पत्र
11. निशक्ताता का प्रमाण पत्र